

न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर, जिला-अजमेर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी - संगीता शर्मा, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध प्रकरण संख्या 27/2024

सी.आई. एस. नम्बर 72/2024

हंसराज

बनाम

भारतीय स्टेट बैंक व अन्य

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 व्यवहार
प्रक्रिया संहिता दिनांकित 22.04.2025

उपस्थित

- 1- श्री लवमेश दत्त शर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
- 2- श्री मनीष प्रकाश माथुर, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक-22.04.2025

1- प्रार्थी की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिनांक 22.04.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि मृतक रामेश्वरलाल ने अपने जीवनकाल में दो अलग-अलग एफडीआर करवायी, जिसमें से जो एफ.डी.आर. अप्रार्थी संख्या-2 के यहां करवायी गयी थी, वह पूर्व में अप्रार्थी संख्या-1 के यहां स्थानान्तरित हो गई थी तथा वर्तमान में अप्रार्थी संख्या-2 के यहां कोई एफ.डी.आर. मौजूद नहीं है। अतः मूल आवेदन की चरण संख्या 3 में अप्रार्थी संख्या 2 के स्थान पर अप्रार्थी संख्या-1 टंकित करवाना चाहता है। यह भी निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'अ' में भी उपरोक्तानुसार संशोधन करवाना चाहता है। अंत में उपरोक्त वांछित संशोधन प्रार्थना-पत्र व अनुसूची में किये जाने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया।

2- प्रार्थना-पत्र की नकल विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण को दिलाई गई।

3- अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र का कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं कर मौखिक बहस का निवेदन किया गया।

4- बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली व संबंधित प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

5- पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक रामेश्वरलाल की प्रार्थना-पत्र के साथ अनुसूची 'अ' में वर्णित सम्पत्ति के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी की ओर से मुख्य रूप से मृतक

की एफ.डी.आर. अप्रार्थी संख्या-2 के यहां नहीं होकर, मृतक की दोनों एफ.डी.आर. अप्रार्थी संख्या-1 के यहां होने से प्रार्थना-पत्र व प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत अनुसूची 'अ' में उपरोक्तानुसार संशोधन करवाना चाहता है। इस सम्बन्ध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र व अनुसूची में संशोधन किये जाने पर अनापत्ति प्रकट की है। प्रकरण में अभी पक्षकारान की साक्ष्य प्रारम्भ नहीं हुई है। न्यायालय के विनम्र मत में इस प्रकार के संशोधन से प्रकरण की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रकरण के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए प्रार्थी द्वारा चाहे गये संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। अतः विधिनुसार संशोधित प्रार्थना-पत्र मय अनुसूची प्रस्तुत किये जावे।

(संगीता शर्मा)

जिला न्यायाधीश, अजमेर

6- आदेश आज दिनांक 22.04.2025 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संगीता शर्मा)

जिला न्यायाधीश, अजमेर